रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एस.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 395] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 1986/आश्विन 7, 1908
No. 395] NEW DELHI, MONDAY, SEPT. 29, 1986/ASVINA 7, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1986

का.आ. 695 (अ):—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 410 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक भलाहकार समिति गठित करती जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1. श्रीमती ज्ञानम् कृष्णन
2. डाक्टर रमेश बैंस
3. श्री पी.आर. रॉय

4. डाक्टर ए. गांगुली

2. सलाहकार समिति के सदस्य 1 अक्तूबर, 1986 से दो वर्ष की अवधि के लिए अपना पद धारण करेंगे ।

[फा.सं. 3/1/85-सी.एल.V]
आर.डी. मखीजा, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 1986

S.O. 695 (E).—In exercise of the powers conferred by section 410 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee consisting of the following persons as members, namely :—

1. Mrs. Gnanam Krishnan
2. Dr. Ramesh Vaish
3. Shri P. R. Roy
4. Dr. A. Ganguly.

2. The members of the Advisory Committee shall hold office for a period of two years with effect from 1st October, 1986.

[File No. 3/1/85-C.L.V.]
R. D. MAKHEEJA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986